न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 रा0 प्रा0 वि0 मोतियोणियों का तला

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गोमदाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी मोतीयोणियों का तला सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर		1. उम्मेदा पुत्र खुमा 2 पोला पुत्र खुमा 3 आदू पुत्र मूला 4 पूनमा पुत्र काना 5 मोबता पुत्र सरदारा 6 भीखा पुत्र उदा जाति जाट निवासीयान मोतीयोणियों का तला सांजटा 7 सरपंच ग्राम पंचायत सांजटा 8 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या—19 / 2020 दिनांक—13.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मोतियोणियों का तला पटवार क्षैत्र सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 744 / 264 रकबा 36.09 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500 / — अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2021 / 6292-6295 दिनांक— 13/11/2021

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः—

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गोमदाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी मोतीयोणियों का तला सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण उम्मेदा पुत्र खुमा वगैराह जाति जाट निवासी मोतीयोणियों का तला सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

19/c.
29/11/2

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

C:\Users\Raj\Desktop\SDM BAEMER COURT DOCUMENT\251 A\order 251.docx